22.10.92

सिटी-बोर्ड (नगर-परिषद) जौनपुर की बैठक दिनांक 22.10.92 दिन बृहस्पतिवार अपरान्ह 5.00 बजे श्री सीताराम यादव, अध्यक्ष, सिटी-बोर्ड जौनपुर की अध्यक्षता में सभा हाल में हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे, उनके नाम व कार्यवाही निम्न प्रकार है।

1	श्री सीताराम यादव	अध्यक्ष,	
2	" मिठाई लाल	मान्य सभासद	
3	" राम अधार यादव	"	"
4	" हाजी मो० सलीम	"	"
5	" बाबू लाल गुप्त	"	"
6	" लक्ष्मीनारायण यादव. प्रतिनिधि श्री अर्जुन सिंह यादव, सांसद-[illegible]		
7	" विद्या सागर सोनकर	मान्य सभासद	
8	" मुख्तार अहमद	"	"
9	" नजीर अहमद	"	"
10	" ज्यारत हुसैन	"	"
11	" कैलाशनाथ मौर्य	"	"
12	" नरेन्द्र बहादुर सिंह	"	"
13	" वीरेन्द्र प्रताप यादव	"	"
14	" दुखलाल	"	"

7.4.94 (signature)	(signature) सीताराम यादव
(सत्यप्रकाश पाण्डेय)	(सीताराम यादव)
अधिशासी अधिकारी,	अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड	सिटी-बोर्ड
जौनपुर	जौनपुर
22.10.92	

निर्णय!-

प्रस्ताव	निर्णय
पिछली बैठक दिनांक 31.8.92 की कार्यवाही वाचन पुष्टि।	परिषद सचिव द्वारा पढ़ी गयी और सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।
रिटे लोर्ड औचयुल के वित्तीय	स्वीकार।
2. वर्ष 1992-93 के माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर 1992 का मासिक आय व्यय लेखा परिषद अवलोकन व अनुमोदन हेतु।	सर्वसम्मति से स्वीकार।
3. नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 128 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत भवनों पर गृहकर आरोपण के लिये बनाये गये वर्तमान नियमों के अन्तर्गत वार्षिक भटकोप मूल्य, का निम्न प्रस्ताव जो बोर्ड की बैठक दिनांक 31.8.92 के प्रस्ताव सं03 के अन्तर्गत रखवा गया था, एवं सदन के निर्णयानुसार उस बैठक में स्थगित हो गया था, पर पालिका की वित्तीय स्थिति की सुधार की दिशा में, गृहकर आरोपण, वार्षिक भटकोप मूल्य का 10% (दस प्रतिशत) किये जाने का प्रस्ताव, परिषद अनुमोदन हेतु	अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
कर का निर्धारण :-	कर का निर्धारण :-
रु 18/- या उससे अधिक वार्षिक भटकोप मूल्य वाले मकानों, भवनों तथा भूमि पर उसके वार्षिक भटकोप मूल्य का 7.81% (सात दशमलव अट्ठासी प्रति सैकड़ा)	रु 360/- से अधिक वार्षिक भटकोप मूल्य वाले मकानों, भवनों तथा भूमि पर उसके वार्षिक भटकोप मूल्य का 10%

22-10-92

	प्रस्ताव	निर्णय :
4.	सिटी-बोर्ड औरैया के वित्तीय वर्ष 1991-92 का आय-व्यय का वार्षिक लेखा विवरण व वार्षिक आय-व्यय जो बोर्ड की बैठक 31-8-92 के प्रस्ताव सं० 10 के अन्तर्गत सूची रखवा गया था, जिसे उक्त की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार परिषद की आगामी बैठक में रखवे जाने पर सहमति पायी गयी थी, के अनुपालन में वास्तविक आय-व्यय विवरण परिषद के समक्ष अवलोकन व अनुमोदन हेतु।	पढ़ा गया। सर्वसम्मति से स्वीकार।
5.	पत्रावलि बाबत नगर में विभिन्न मार्गों की तहबजारी की वसूली के लिये पूर्व से तैनात दैनिक मजदूरी पर रखवे गये तहबजारी मुहर्रिर की सेवायें 1.9.92 से 31-10-92 तक 30/- तीस रुपया प्रतिदिन प्रति मोहर्रिर की दर से समयावधि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
6.	पालिका प्रकाश विभाग में नगर क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए कार्यरत 3 दैनिक वेतन पर 30/- प्रति मिस्त्री प्रति दिन की दर से मिस्त्री की सेवायें	स्वीकार।

प्रस्ताव	निर्णय
प्रस्ताव 1.9.92 से 31-10-92 तक समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद स्वीकृति हेतु।	
पालिका सफाई विभाग में सफाई कार्य के निस्तारण हेतु 11-10-89 के पूर्व से कार्यरत 8 स्वच्छकार की सेवायें 1.9.92 से 31-10-92 तक 25/- प्रतिदिन प्रति स्वच्छकार की दर से समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद स्वीकृति हेतु।	स्वीकार।
पालिका सफाई विभाग में सफाई कार्य के निस्तारण हेतु 11-10-89 के पूर्व से कार्यरत परन्तु उक्त तिथि को जिनकी सेवायें 3 वर्ष पूरी न हुई हो, और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्य करने की शर्त पूरी न करते हो, परन्तु वे 11-10-89 के पूर्व से कार्यरत रहे हों, को ~~शासनादेश~~, नगर विकास अनुभाग-1 शासनादेश सं० 171/9-1-92 दिनांक 8.1.1992 के निर्देशानुसार सेवा से न निकाला जाय, सम्बन्धी विभागीय निर्देश के तहत नगर क्षेत्र में सफाई जैसी आवश्यक सेवा को दृष्टिगत रखते हुये 12 स्वच्छकार की सेवायें 25/- दैनिक मजदूरी पर स्वीकार किये जाने हेतु दिनांक 7-10-92 से 31-10-92 तक की अवधि के लिये परिषद के समक्ष विचारार्थ व स्वीकृति हेतु।	स्वीकार।

22-10-92

	प्रस्ताव :-	निर्णय :-
9.	पालिका जलकल विभाग मे पेयजलापूर्ति व्यवस्था क्रम मे नलकूपों के संचालन हेतु 12 पम्प अटेन्डेन्ट की सेवाये 30/- प्रति पम्प अटेन्डेन्ट, प्रति दिन की दर से दैनिक मजदूरी पर 1-9-92 से 31-10-92 तक की समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव, परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
10.	पालिका जलकल विभाग मे पाइप लाइनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य आदि के लिये 4 बेलदारों की सेवाये 25/- पच्चीस रुपया प्रति बेलदार प्रति दिन की दर से दैनिक मजदूरी पर 1-9-92 से 31-10-92 तक समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
11.	पत्रादि बाबत सिटी बोर्ड जौनपुर के सफाई विभाग के निष्प्रयोज्य शक्ति चालित वाहन क्रमशः ट्रक सं० यू०एस०एफ० 632, ट्रैक्टर जेसा यू०एस०एफ० 567, दो प्रताप ट्रैक्टर व एक मदद ट्राली की नीलामी, जिसकी स्वीकृति बोर्ड की बैठक दिनांक 31-8-92 के प्रस्ताव सं० 11 के अन्तर्गत प्राप्त हुयी थी,	पढ़ा गया।

	निर्णय :-
सूचना :- नीलामी 14-9-92 को कराई गयी, जो नीलामी के फलस्वरूप उक्त और नीलामी अनुपयोगी वाहनों की नीलामी से रु 73,500/- तिहत्तर हजार पाँच सौ रुपये की आय (Income) हुयी एवं परिषद के निर्णयानुसार सफाई जैसी आवश्यक सेवा के सुगम संचालन हेतु एक नये ट्रैक्टर क्रय किये जाने के आदेश के अनुपालन में एक नया स्वराज ट्रैक्टर (ड) 25, 27 हार्स पावर का रु 1,47,407/- एक लाख सैंतालिस हजार चार सौ सात रुपये में क्रय किया गया, परिषद के समक्ष सूचनार्थ।	
12. पालिका जलकल विभाग प्रस्ताव कि निर्माणाधीन 3 नलकूप क्रमशः बालमटोला, इंग्लिशबलव पीसर- इरानाबाद, व खिरलाबाद के संचालन हेतु 10 पम्प अटेन्डेन्ट के पद सृजन का प्रकरण परिषद अनुमोदन हेतु	स्वीकार।
13. पालिका जलकल विभाग की आख्या बाबत सुखाग्रस्त योजना के अन्तर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन नलकूपों के पम्प हाउसों के विस्तार के कारण बढ़े हुए कार्य से सम्बन्धित अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु बेलदारों के स्थायी पद सृजन का प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।

22.10.92

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
14. पालिका जलकल विभाग की आख्या बावत शासकीय एवं प्रशासनिक पत्रों के उत्तरालय की स्वच्छ प्रतियों के टंकण कार्य हेतु एक टाइपिस्ट का पद 950- से 1640 के वेतनमान में पद सृजन कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु	स्वीकार।
15. पालिका जलकल विभाग की आख्या बावत पेयजलापूर्ति से सम्बन्धित विद्युत संचालित संयंत्रों की तकनीकी खराबियों को तत्काल प्रभाव से ठीक करने के लिये, एक इलेक्ट्रीशियन के पद सृजन का प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
16. पालिका जलकल विभाग की आख्या कि नगर क्षेत्र में बढ़ते हुए पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के सुगम संचालन एवं नियंत्रण हेतु 2 अवर अभियन्ता के पद सृजन का प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
17. नगर विकास अनुभाग-8 शासनादेश सं० 140बी/9-1-92-55(न्या०)/92 दिनांक 6.1.92 के अनुसार पहली अगस्त 1990 से नगर-पालिकाओं में पुनीकर/	पढ़ा गया।

22-10-92

प्रस्ताव :- | निर्णय :-

पथकर / सीमाकर समाप्त किये जाने के फलस्वरूप इस प्रयोजन हेतु स्थापित चुंगी चौकियाँ निष्प्रयोज्य हो गयी हैं, का निस्तारण नीलामी के माध्यम से कराया जाय एवं सर्वोच्च बोली बोलने वाले के पक्ष में नीलामी की जाय, सम्बन्धी प्रकरण, जो बोर्ड की बैठक दिनांक 31-8-92 के प्रस्ताव सं० 22 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु रखा गया था, जो स्वीकार किया गया था, के अनुपालन में नगर स्थित नीलाम की गयी चुंगी चौकियों से प्राप्त आय, जो निम्न प्रकार है, परिषद सूचनार्थ।

1.	पचहटिया चुंगी नाका	1,00,000=00
2	लाइनबाजार " "	1,23,000=00
3	शाकमंडी " "	1,26,000=00
4	चितरसारी " "	30,999=98
5	मंडी अहमद खाँ " "	2,26,136=00
6	रसूलाबाद " "	45,555=00
7	आदियापुर " "	50,000=00
8	भण्डारी " "	3,62,000=00
9	सुक्खू जफराबाद " "	1,35,001=00
10	नईगंज " "	1,61,111=50
11	कटघरा " "	80,000=00
12	बेगमगंज " "	30,333=33

3. मेरे बोर्ड जौनपुर की सीमा के अन्तर्गत तहबाजारी वसूली हेतु तहबाजारी वसूली के निमित्त ~~आनुमे~~ निम्नांकित संशोधित

22-10-92

18. **प्रस्ताव :-**

--- बनाये गये उपनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित दरों के अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव जो बोर्ड की बैठक दिनांक 31.8.92 के प्रस्ताव सं० 7 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु रखा गया था जो बोर्ड की बैठक के निर्णयानुसार स्थगित कर दिया गया था और परिषद (बोर्ड) की आगामी बैठक में विचार विमर्श हेतु रखे जाने पर सहमति पायी गयी, के अनुपालन में उत्तर प्रदेश गजट दिनांक 17 मई 1975, भाग-3 के पृष्ठ सं० 886 व 887 पर प्रकाशित विज्ञप्ति सं० 2189/23-384 (73-76) दिनांक 2-5-75 के अन्तर्गत यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा 298(2) (ई) (बी) के तहत नगर पालिका जौनपुर (अब सिविल बोर्ड जौनपुर) की सीमा में तह-बाजारी के निमित्त बनाये गये उपनियम जो विज्ञप्ति सं० 3593/ते.इ.स-44 दिनांक 28-6-1926 द्वारा प्रकाशित हुयी थी, और जिसकी दरों में विज्ञप्ति सं० 3409/ते.इ.स-603 (49-52) दिनांक 30-4-54 द्वारा संशोधित किया गया था, को निरस्त करते हुये, निम्नांकित दर निर्धारित करके पुष्टि की जाती है और उक्त ऐक्ट की धारा 301(2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशन हेतु निम्न प्रस्तावित दरें परिषद अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है;

क्रमांक	नाम मद	पुरानी दैनिक फीस/किराया	लागू करने हेतु संशोधित नि[illegible] नवीन दर फीस किराया [illegible]
1	हर प्रकार के अनाज जिसमें भुने दाने सत्तू और नमक तेलहन और सभी बीज (सीड्स) सम्मिलित हैं, की प्रत्येक खच्चर बैल, भैंसा, आदि पर बोझा	0.25 प्रति बोझ	1.00 प्रति बोझ

निर्णय:

दरें निर्णयोपरान्त स्वी[illegible] किया गया।

प्रस्ताव मद	पुरानी दैनिक [illegible] या किराया	जो बढ़ाने हेतु प्रस्तावित दरें	निर्णय:- सर्वसम्मति से स्वीकृत दरें
2. क्रम सं० 1 में वर्णित वस्तुओं से लदा प्रत्येक ऊँट	0=50 प्रति ऊँट	2=00 प्रति ऊँट	2=00 प्रति ऊँट
3. क्रम सं० 1 में वर्णित वस्तुयें यदि एक बैल या भैंसा गाड़ी पर लदा हो।	1=50 प्रति गाड़ी	6=00 प्रति गाड़ी	5=00 प्रति गाड़ी
4. क्रम सं० 1 में वर्णित वस्तुयें यदि एक से अधिक बैल या भैंसा गाड़ी पर लदा हो	3=00 प्रति गाड़ी	12.00 प्रति गाड़ी	5=00 प्रति गाड़ी
5. रेल द्वारा आयातित गल्ला नमक अथवा अन्य सामान	0=25 पैसे प्रतिबोरा	1.00 प्रति बोरी/ पैकेट/ कार्टून	1.00 प्रति बोरी/ पैकेट/ कार्टून
6. सब्जी अथवा ताजे फल की फेरी वाले	0=60 पैसे प्रत्येक	2.00 प्रत्येक	1=00 प्रत्येक
7. एक बैल अथवा भैंसा द्वारा खींची जाने वाली फलों अथवा सब्जी से लदी गाड़ी।	2=00 प्रति गाड़ी	6=00 प्रति गाड़ी	5=00 प्रति गाड़ी
8. एक से अधिक बैल अथवा भैंसा द्वारा फलों एवं सब्जी से लदी गाड़ी	4=00 प्रति गाड़ी	12=00 प्रति गाड़ी	6=00 प्रति गाड़ी
9. सब्जी व फलों से लदा ट्रक	6=00 ट्रक	25=00 प्रति ट्रक	25=00 प्रति ट्रक
10. कपड़े के फेरीदार –	0=25 पैसे प्रति	1.00 प्रति फेरीदार	1=00 प्रति फेरीदार
11. भूमि का अस्थायी उपयोग	0=50 पै. प्रति 5 वर्ग फुट पर किन्तु 0=50 पैसे से किसी भी दशा में कम नहीं होगा।	2=00 प्रति 5 वर्ग फुट पर, जो 2=00 से किसी भी दशा में कम नहीं होगा।	2=00 प्रति 5 वर्ग... पर, जो 2=00 से किसी भी दशा में कम नहीं होगा।
12. जूते वाले	0=50 पैसे प्रति 5 वर्ग फुट पर किन्तु 0=50 पैसे से किसी भी दशा में कम नहीं होगा।	2.00 प्रति 5 वर्ग फुट पर, जो 2.00 से किसी भी दशा में कम नहीं होगा।	2.00 प्रति 5... पर, जो 2.00 ... किसी भी दशा ... कम नहीं होगा।
13. बिसाती एवं पटुवा वाले	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
14. तराजू का प्रयोग करने वाले	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्त...
15. तमोली	0=30 पैसे प्रति	1=00 प्रति	1=00 प्रति

22-10-92

18. प्रस्ताव

निर्णय

क्रमांक	नाम मद	पुरानी दैनिक फीस/किराया	लागू करने हेतु संशोधित दर	निर्धारित प्रस्तावित दर
16	ठेले पर या मिठाई बेचने वाले	0=30 पैसे प्रति	1=00 प्रति	1=00 प्रति
17	भूमि पर मिठाई बेचने वाले	0=50 प्रति 5 वर्ग फुट किन्तु 50 पैसे से किसी भी दशा में कम न होगा	2=00 प्रति 5 वर्ग फुट पर जो 2=00 से किसी भी दशा में कम नहीं होगा।	2=00 प्रति [illegible] फुट पर [illegible] 2=00 से [illegible] भी दशा में [illegible] नहीं होगा।
18	मछली के फेरी पर	0=30 प्रति टोकरी	1=00 प्रति टोकरी	1=00 प्रति टोकरी
19	भूमि पर मछली बेचने वाले	0=50 पैसे प्रति वर्ग फुट जो 0=50 पैसे से किसी भी दशा में कम नहीं होगा।	2=00 प्रति 5 वर्ग फुट जो 2=00 से किसी भी दशा में कम नहीं होगा।	2=00 प्रति 5 वर्ग फुट [illegible] 2=00 से [illegible] भी दशा में [illegible] नहीं होगा।
20	मिट्टी के बर्तन पर	0=30 पैसे प्रति टोकरी	1=00 प्रति टोकरी	1=00 प्रति टोकरी
21.	चीनी अथवा डेरी के फेरीदार	0=30 पैसे प्रति टोकरी	1=00 प्रति टोकरी	1=00 प्रति टोकरी
22	गुड़ के फेरीदार	0=40 पैसे प्रति टोकरी	1=00 प्रति टोकरी	1=00 प्रति टोकरी
23	राब गुड़ फेरीवाले	1=75 प्रति ऊँट	5=00 प्रति ऊँट	5=00 प्रति ऊँट
		0=30 पैसे प्रति बैल भैंस या टट्टू	1=00 प्रति बैल भैंस या टट्टू	1=00 प्रति बैल भैंस या टट्टू
		0=25 पैसे प्रति बर्तन	1=00 प्रति बर्तन	1=00 प्रति बर्तन
24	घी, मक्खन और खोये के फेरीदार	0=30 पैसे प्रति टोकरी	1=00 प्रति टोकरी/बर्तन	1=00 प्रति टोकरी/बर्तन
25.	मिट्टी का तेल	0=25 पैसे प्रति टीन	1=00 प्रति टीन	1=00 प्रति टीन
26	भूसा, करबी, ठेठा, प्याज, कण्डी, बिनौला, खली, अरहर, कराई, किरा, आपल, जलौनी का पाला, लकड़ी, रेह, सब्जी और खाद	0=25 प्रति बैल गाड़ी	2=00 प्रति बैलगाड़ी	2=00 प्रति बैल गाड़ी
27.	बैल के फेरीदार	0=30 प्रति फेरीदार	1=00 प्रति फेरीदार	1=00 प्रति फेरीदार
28.	तम्बाकू के विक्रेता :-	0=50 पैसे प्रति वर्ग फुट जो 0=50 पैसे से किसी भी दशा [illegible]	2=00 प्रति 5 वर्ग फुट जो 2=00 से किसी भी दशा में कम नहीं होगा	2=00 प्रति 5 वर्ग [illegible] जो 2=00 से किसी भी दशा में कम नहीं होगा।

22-10-92

निर्णय :-

...नाम पद	पुरानी दैनिक खोका / किराया	लागू करने हेतु संशोधित दरें	निर्णय अन्ततः स्वीकृत दरें
...आइसक्रीम के फेरीवाला	0=30 पैसे प्रति फेरीवाला	1=00 प्रति फेरीवाला	1=00 प्रति फेरीवाला
...सोडा, वाटर, आइसक्रीम विक्रेता	0=30 पैसे प्रति	1=00 प्रति	1=00 प्रति
...अन्य वस्तुओं के दुकानदार जिसका उल्लेख अन्यत्र न हो	0=50 पैसे प्रति वर्गफुट जो =50 पैसे से कम न हो	2=00 प्रति 5 वर्ग फुट जो 2=00 से किसी भी दशा में कम नहीं होगा।	2=00 प्रति 5 वर्ग-फुट जो 2=00 से किसी भी दशा में कम नहीं होगा।
...गेहूँ जो भूसे से लदी बैलगाड़ी पर	–	8=00 प्रति बैलगाड़ी	5=00 प्रति बैलगाड़ी
...गेहूँ जो भूसे से लदी एक से अधिक बैलवाली गाड़ी पर	–	10=00 प्रति गाड़ी	5=00 प्रति गाड़ी
...आलू के अतिरिक्त हर प्रकार की सब्जी प्रति बोझा, खाँचा या टोकरी	–	1=00 प्रति बोझा, खाँचा या टोकरी	1=00 प्रति बोझा, खाँचा या टोकरी
...आलू प्रति बोझा / बोरा	–	1=00 प्रति बोझा / बोरा	1=00 प्रति बोझा / बोरा

...नगरपालिका अधिनियम की धारा ...98 (एच) (सी) के अन्तर्गत नोटीफिकेशन ...5536 / तेईस-190 दिनांक 3-8-1946 ...नोटीफिकेशन सं० 321 / तेईस-361 ...(49-52) दिनांक 25-10-1950 तथा ...नोटीफिकेशन सं० 4076 / तेईस-166 ...(54-55) दिनांक 26-7-55 के अन्तर्गत ...रिक्शा रिक्सा अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध	रिक्सा तथा अन्य वाहनों के लिए म्युनिस्पल बाईलाज में पूर्व में बताये गये शुल्क की दरों में बढ़ोत्तरी निम्न प्रकार सर्वसम्मति से स्वीकार।

19 **प्रस्ताव:-** **निर्णय:** 22.10.

.... में पुरानी दरों को वर्तमान में इगायी को दृष्टिगत रखते हुये संशोधित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव जो बोर्ड की बैठक दिनांक 31-8-92 के प्रस्ताव सं. 8 के अन्तर्गत विचार विमर्श हेतु रखा गया था, जो सदन में स्थगित कर दिया गया था और यह भी निर्णय लिया गया था कि इसे अगली बैठक में विचार विमर्श हेतु रखा जाये, के अनुपालन में रिक्सा अनुज्ञप्ति सम्बन्धी निम्नांकित संशोधित दरों को परिषद के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत, विवरण निम्न प्रकार है

क्रमांक	वाहन का विवरण	वर्तमान शुल्क दर	प्रस्तावित शुल्क दर	निर्णयानुसार संशोधित शुल्क
1	रिक्सा एव रिक्सा ट्राली	15=00 प्रति	50=00 प्रति	50=00 प्रति
	(अ) रिक्सा एवं रिक्सा ट्राली प्लेट।-	0=50 पैसे प्रति	10=00 प्रति	5=00 प्रति
	(ब) रिक्सा एवं रिक्सा [illegible] चालक फीस	2=00 प्रति	20=00 प्रति	10=00 प्रति
	(स) " " ट्राली चालक फीस	0=70 पैसे प्रति	5=00 प्रति	5=00 प्रति
	(द) " " " एगाई फीस	1=00 प्रति	5=00 प्रति	5=00 प्रति
2	(अ) एक्का लाईसेन्स फीस	4=00 प्रति	15=00 प्रति	10=00 प्रति
	(ब) " " प्लेट फीस	0=34 पैसे प्रति	5=00 प्रति	5=00 प्रति
	(स) " " चालक फीस	1=00 प्रति	10=00 प्रति	5=00 प्रति
	(द) एक्का चालक लाईसेन्स प्लेट फीस	0=16 पैसे	5=00 प्रति	5=00 प्रति
	(य) एक्का एगाई फीस	1=00 प्रति	5.00 प्रति	5=00 प्रति
3	(अ) एक बैलिया गाड़ी लाईसेन्स फीस	4=00 प्रति	30=00 प्रति	15=00 प्रति
	(ब) दो " " " "	6=00 "	40=00 "	20=00 "
	(स) तीन " " " "	6=00	50=00 "	30=00 "
	(य) क्रमांक (अ) (ब) (स) से सम्बन्धित लाईसेन्स प्लेट फीस	0=50 पैसे प्रति	5=00 प्रति	5=00 प्रति

निर्णय :-

प्रस्ताव :-

वाहन का विवरण	वर्तमान शुल्क दर	प्रस्तावित शुल्क दर	निर्णयोपरान्त संशोधित शुल्क दर
(अ) ... पहिया गाड़ी लाईसेन्स फीस	0=75 प्रति पहिया	5=00 प्रति पहिया	5=00 प्रति पहिया
(ब) पहिया गाड़ी प्लेट फीस	0=50	5=00	5=00
(स) हाथठेला लाईसेन्स फीस	4=00	15=00	10=00
(द) हाथठेला प्लेट फीस	0=50	5=00	5=00

नोट :- (अ) रिक्शा व रिक्शा ट्राली का लाइसेन्स माह अप्रैल में प्रतिवर्ष बनवाया जाना आवश्यक है, यदि वित्तीय वर्ष के प्रथम माह अप्रैल में उसका नवीनीकरण नहीं कराया जायेगा तो वर्ष के 11 ग्यारह महीने की अवधि में वाहन पकड़े जाने पर दुगुना लाइसेन्स फीस के साथ लाईसेन्स बनाया जायेगा।

(ब) पहिया गाड़ी व एक्का का लाईसेन्स यदि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह से 30 जून तक नवीनीकरण नहीं कराते हैं तो वर्ष के 9 महीनों में जब भी वाहन पकड़े जायेंगे तो दुगुना फीस लेकर लाईसेन्स बनाया जायेगा।

(स) रिक्शा, ट्राली, एक्का आदि जो भी वाहन चैकिंग में बिना लाइसेन्स के चलाते हुये पकड़े जायेंगे, उन पर 25/- पच्चीस रुपये जुर्माना करने के पश्चात ... छोड़ा जायेगा।

नगर-पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत, म्युनिस्पल बाईलाज में ... गये लाईसेन्स फीस जिसका विवरण ... निम्न प्रकार है, को वर्तमान मंहगाई पर [illegible] करते हुये, शुल्क दर को बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव जो बोर्ड की बैठक दिनांक ...8.92 के प्रस्ताव सं० 9 के अन्तर्गत रखा गया था, स्थगित हो गया था और सदन की आगामी बैठक में रखा जाना तय पाया ... के अनुपालन में, लाईसेन्स शुल्क ... का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत, विवरण निम्नप्रकार है।

म्युनिस्पल बाईलाज में पूर्व में बनाये गये लाइसेन्स शुल्क की निम्नांकित दरों में बढ़ोत्तरी तथा नये प्रस्तावित करों को लागू किया जाना सर्व सम्मति से स्वीकार।

22-10-91

20 **प्रस्ताव:-** **निर्णय:-**

क्रमांक	मद विवरण	पुरानी दर	नयी प्रस्तावित दरें।	निर्णय: निम्नवत् स्वीकृत है।
1.	आइसकैण्डी ठेला	10/- प्रति वर्ष	100=00 प्रति वर्ष	100=00 प्रति वर्ष
2.		15/- " "	150=00 " " एक ठेला से अधिक ठेला होने पर 100/- और प्रति ठेला चार्ज लगेगा	150=00 " " एक ठेला से अधिक ठेला होने पर 100/- और प्रति ठेला चार्ज लगेगा।
3.	आइसक्रीम फैक्ट्री	10=00 प्रति वर्ष	100=00 प्रति वर्ष	100=00 प्रति वर्ष
4.	बेकरी बिस्कुट	2=00 " "	20=00 " "	20=00 " "
5.	छोटा गोश्त / स्लाटर	3=50 " "	50=00 " "	50=00 " "
6	बड़ा गोश्त / स्लाटर	5=00 " "	75=00 " "	75=00 " "

नोट:- उपरोक्त क्रमांक 1 से 6 तक के लाइसेंस वरिष्ठ नगर-स्वास्थ्य अधिकारी जौनपुर के द्वारा निर्गत होंगे।

:अन्य लाइसेन्स:-

क्रमांक	मद विवरण	पुरानी दर	नयी प्रस्तावित दरें	निर्णय
1	भूसा	2=00 प्रति वर्ष	25=00 प्रति वर्ष	25=00 प्रति वर्ष
2.	सब्जी	2=00 " "	25=00 " "	15=00 " "
3.	जूट	2=00 " "	25=00 " "	25=00 " "
4.	जलौनी लकड़ी	2=00 " "	25=00 " "	25=00 " "
5.	चमड़े का सामान बेचनेवाले	2=00 " "	25=00 " "	25=00 " "
6.	चमड़े का सामान बनानेवाले	2=00 " "	25=00 " "	25=00 " "
7.	पान	2=00 " "	25=00 " "	25=00 " "
8	चूना फैक्ट्री	8=00 " "	100=00 " "	100=00 " "
9.	खोवा दुकानदार	4=00 " "	25=00 " "	25=00 " "
10	स्टोर रद्दी गोदाम	6=00 " "	100=00 " "	100=00 " "
11	स्टोर चमड़ा गोदाम	8-00 " "	200-00 " "	200-00 " "
12	चिथड़ा सीट	2=00 " "	50-00 " "	50-00 " "
13	चमड़ा कुप्पी बनाना	2=00 " "	50=00 " "	50=00 " "
14.	पेट्रोलियम स्टोर 100 गैलन	2=00 " "	100=00 " "	100=00 " "
15.	" " 300 "	5=00 " "	150=00 " "	150-00 " "
16	" " 300 से 500 गैलन	1=50 प्रति सौ गैलन	250=00 " "	250-00 प्रति वर्ष
17	हड्डी स्टोर करने का	6=00 प्रति वर्ष	100-00 " "	100=00 प्रति वर्ष
18.	चमड़ा स्टोर करने का	8-00 " "	200-00 " "	200-00 " "

22-10-92

निर्णय

प्रस्ताव :-

क्रमांक	मद विवरण	पुरानी दर	नयी प्रस्तावित दरें	निर्णयोपरान्त स्वीकृत दरें
19	चिथड़ा गुदड़ा स्टोर करने का	2-00 प्रति वर्ष	10-00 प्रति वर्ष	10-00 प्रति वर्ष
20	चमड़े की कुप्पी बनाने का	2-00 " "	10-00 " "	10-00 " "

नोट :- उपरोक्त क्रमांक 1 से 20 तक के लाईसेंस अधिशासी अधिकारी, सिटी बोर्ड जौनपुर के माध्यम/द्वारा से निर्गत होंगे।

नये प्रस्तावित लाइसेंस :-

क्रमांक	मद का नाम	प्रति वर्ष प्रस्तावित शुल्क दर	निर्णयोपरान्त स्वीकृत शुल्क दर
1	बाँस बेचने वाले	50-00 प्रति वर्ष	50-00 प्रति वर्ष
2	इमारती लकड़ी बेचने वाले	50-00 " "	50-00 " "
3	बुरादा बेचने वाले	50-00 " "	50-00 " "
4	आरा मशीन	100-00 प्रति वर्ष प्रत्येक का	100-00 प्रति वर्ष प्रत्येक का
5	लकड़ी के सन्दूक तथा कठौता आदि बेचने वाले।	100-00 प्रति वर्ष	100-00 प्रति वर्ष
6	कोयला लकड़ी	100-00 " "	100-00 " "
7	कोयला पत्थर	100-00 " "	100-00 " "
8	कोयला चूरा	50-00 " "	50-00 " "
9	बीड़ी के पत्ते बेचने वाले	100-00 " "	100-00 " "
10	बाध, सुतली, रस्सी, रस्सा बेचने वाले	100-00 " "	100-00 " "
11	चमड़ा खाल बेचने वाले	50-00 " "	50-00 " "
12	दिया सलाई बेचने वाले	50-00 " "	50-00 " "
13	नार/तिरपाल	50-00 " "	50-00 " "
14	नारियल का गोला	50-00 " "	50-00 " "
15	नारियल जटा	50-00 " "	50-00 " "
16	रूई	100-00 " "	100-00 " "
17	कालनपोश के सामान कपड़े (रेशम, ऊनी	200-00 " "	200-00 " "
	सूती, कृत्रिम)	~~100-00~~ " "	~~100-00~~ " "
18	घी बेचने वाले	100-00 " "	100-00 " "
19	बाल नाई	100-00 " "	100-00 " "
20	कालीन आदि दरी बेचने वाले	100-00 " "	100-00 " "

Scanned with OKEN Scanner

20 प्रस्ताव। 22-10-91 निर्णय।

क्रमांक	मद का नाम	प्रस्तावित शुल्क दर	निर्धारित शुल्क दर
21.	प्लास्टिक / प्लास्टिक की वस्तु बेचने वाले।	100-00 प्रति वर्ष	100-00 प्रति वर्ष
22	कागज स्टेशनरी दफ्ती	100-00 " "	100-00 " "
23.	कार्ड बोर्ड पैक रखने के सामान	50-00 " "	50-00 " "
24.	वारनिश रंग	100-00 " "	100-00 " "
25.	तारकोल	100-00 " "	100-00 " "
26	गैस	100-00 " "	100-00 " "
27.	गन्धक	100-00 " "	100-00 " "
28.	ज्वलनशील वस्तुयें तेल मिट्टी का	50-00 " "	50-00 " "
29	" " " बांस	50-00 " "	50-00 " "
30.	" " " सरपत	50-00 " "	50-00 " "
31.	" " " भूसा/लकड़ी	50-00 " "	50-00 " "
32	समस्त प्रकार के खिलौना विक्रेता	50-00 " "	50-00 " "
33.	कुम्हार का आँवां	50-00 " "	50-00 " "

नोट:- (1) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के लाइसेंस का फीस 50=00 प्रति वर्ष 50=00 प्रति वर्ष

(2) उपरोक्त लाइसेन्स अधिशासी-अधिकारी के स्तर से निर्गत होंगे।

21. प्रस्ताव श्री विद्यासागर सोनकर, सभासद, जिसका समर्थन श्री शिवकुमार गुप्ता, सभासद ने किया, बावत पालिका सीमा के अन्तर्गत स्थित पालिका कर्मचारी एवं बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों के भवनों को पालिका द्वारा निर्धारित गृहकर जलकर से मुक्त करने एवं जलमूल्य की मासिक धनराशि निर्धारित करने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद स्वीकृति हेतु।

विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि पालिका कर्मचारियों / निर्वाचित सदस्यों जिनका मकान पालिका सीमान्तर्गत है और गृहकर जलकर आरोपित है, उसे मुक्त कर दिया जाय और जलमूल्य 25/- पच्चीस रुपये निर्धारित किया जाय, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

दुर्घटना :- प्रस्ताव सं० 20 पर विचार विमर्श हो ही रहा था उसी समय, सदन में, श्री रमजान खाँ, सभासद जो सदन के बाहर खड़े थे, आये, और आकर उपस्थित सदस्यों में सर्वश्री नजीर अहमद, मिर्जा जियारत हुसैन, एवं श्री कैलाशनाथ मौर्य से बात करके उन्हें बाहर लिवा गये और क्षण ही में सदन में वापस आकर श्री मिर्जा जियारत हुसैन, सभासद अधिशासी अधिकारी के समक्ष रखे उपस्थिति-रजिस्टर पर से अपना हस्ताक्षर, जिसे उन्होंने सदन में उपस्थिति के साक्ष्य स्वरूप किया था, उपस्थित सभासदों, अध्यक्ष, अधिकारियों / कर्मचारियों के समक्ष कलम से काट दिया। तदोपरान्त श्री नजीर अहमद, सभासद ने आकर उपस्थिति रजिस्टर, जिस पर मान्य सभासद अपनी उपस्थिति अभिलिखित करते हैं, उठाकर पीछे कुर्सी पर ले गये, वहाँ पर श्री रमजान खाँ, सभासद खड़े थे, उनके सामने उपस्थिति रजिस्टर को खोलकर, सदन में सबके समक्ष अपना तथा श्री कैलाशनाथ मौर्य, सभासद का हस्ताक्षर कलम से काट दिया। उनके इस कार्यकलाप को देखकर लोग स्तब्ध रहे और अध्यक्ष महोदय उपस्थिति-रजिस्टर अपनी अभिरक्षा सुरक्षित रख लिये। और सदन में उपस्थित सभासदों द्वारा, इन 2 सदस्यों द्वारा, उपस्थिति रजिस्टर से किये गये हस्ताक्षर को काट दिए जाने की कार्यवाही को सदन की गरिमा के विपरीत कहा गया और सदन की कार्यवाही आगे चलती रही।

22-10-92

सिटी बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 22-10-92 की पूरक कार्य सामग्री।

प्रस्ताव	निर्णय :-
1. प्रस्ताव श्री दयाशंकर, सभासद, जिसका समर्थन श्री रमजान खाँ व श्री मुख्तार अहमद, सभासदगण ने किया जो पहली अगस्त 1990 से स्थानीय निकायों में चुंगी / पथकर की समाप्ति होने से चुंगी चौकियों के निष्प्रयोज्य हो जाने के फलस्वरूप शासनादेश के अनुपालन में चुंगी चौकियों की नीलामी की जा चुकी है, उसी परिप्रेक्ष्य में चुंगी चौकियों की तौल मशीन, विद्युत पंखे, तख्त, कुर्सी सन्दूक वगैरह जो निष्प्रयोज्य हो गये हैं, उसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग का एक मैला टैंकर, जो बेकार पड़ा है, की नीलामी कराने का प्रस्ताव परिषद के अनुमोदन हेतु।	सदन में विचार विमर्श के दौरान हाजी मो० सलीम, सभासद, ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री दयाशंकर, सभासद द्वारा लाया गया है, अतएव उनके रहने पर विचार किया जायेगा परन्तु सदन में उपस्थित सभी सभासदों ने निष्प्रयोज्य सामग्री के नीलामी पर अपनी अपनी सहमति प्रदान की तब अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जब सदन के सर्वाधिक सदस्य नीलामी के प्रति सहमति प्रदान कर रहे हैं तो, इसकी नीलामी करा दी जाय, जो सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि ~~[illegible]~~ नीलाम से प्राप्त आय को सदन की अगली बैठक
2. आवेदनपत्र श्री कैलाशनाथ सिंह, पालिका अधिवक्ता व श्री राजकुमार सिंह, पालिका अधिवक्ता दिनांक 21.10.92 बावत शासनादेश सं० 3जी-4972/सात-न्याय-3-85/90 दिनांक 29 दिसम्बर 1990 के अनुसार सरकारी अधिवक्ताओं की फीस में संशोधन किया गया है, उसी के सन्दर्भ में पालिका अधिवक्ता को एक हजार रुपये प्रतिमाह बतौर रिटेनर फीस एवं शासकीय आदेश के मुताबिक वादों के निस्तारण में दिये जाने वाले फीस के अनुसार फीस का भुगतान किया जाय, परिषद अनुमोदनार्थ।	परिषद लिपिक द्वारा पढ़ा गया, जिस पर सदन में संदर्भित शासनादेश की माँग की गयी और शासकीय आदेश को सदन में दिखाया गया, जिसे निर्णयोपरान्त वादों के निस्तारण सम्बन्धी फीस, वादों की महत्ता को देखते हुये, उनका मूल्यांकन करने के पश्चात, फीस का भुगतान किया जाना स्वीकार किया गया।

निर्णय. -

प्रस्ताव

...री बावत नगर-पालिका इन्टर कालेज,
...जौनपुर में कमरों की मरम्मत एवं
...ई हेतु प्राप्त निविदा के अनुसार मेसर्स
...सुभाषकुमार-सतीशकुमार एण्ड ब्रदर्स जौनपुर के
...कोटेशन के अनुसार रु 29,632=70 पैसे
...नगर-पालिका इन्टर कालेज के विकास
...निधि से रु 11,926=41 पैसे भुगतान करने के
...रु 17,706=29 पैसे में से कराये गये कार्य
...रु 17,438=00 का भुगतान, पालिका-
...निधि से, किये जाने विषयक प्रस्ताव, जो
...की बैठक दिनांक 25-4-92 के प्रस्ताव सं०
...के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु रखा गया था,
...की सहमति न होने के कारण, भुगतान
...किया जा सका, और सदन के निर्णयानुसार
...निधि के अवशेष का विवरण दिया जाय,
...अनुपालन में पालिका विकास निधि में
...रु 239=25 पैसे अवशेष हैं, को दृष्टिगत
...हुये, रंगाई पुताई का सम्बन्धित ठेकेदार को
...पालिका निधि से 17,438=00 भुगतान
...विषयक प्रस्ताव, परिषद अनुमोदन हेतु।

विद्यालय के विकास निधि का आय-व्यय देखा गया। नगर-पालिका इन्टर कालेज जौनपुर के प्रधानाचार्य की आख्या पर विचार करते हुये सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि नगर-पालिका इन्टर कालेज भवन की मरम्मत रंगाई पुताई आदि लागत 29632=70 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुये ठेकेदार के अवशेष बिल रु 17438=00 का भुगतान पालिका निधि से किया जाय।

-: चर्चाकाल प्रकरण :-

चर्चा के दौरान हाजी श्री मो० सलीम, सभासद ने कहा कि नगर में अतिक्रमण बहुत हो रहे हैं, इसे हटवाने का प्रयास किया जाय। ...न, पुलिस शौचालय स्थित सिपाह बस स्टैन्ड तथा सिपाह में, हो चाचकपुर रोड पर पुलिया के पास एक नाली के ऊपर अतिक्रमण किया जाना बताया, और हटवाये जाने की बात कही, इसी प्रकार ...नगर में बहुत से अतिक्रमण की चर्चा उन्होंने की और कहा कि अतिक्रमण ... और हो रहे हैं, इसे हटवाने हेतु प्रभावी कदम उठाये जांय। इस पर ...अध्यक्ष प्रभारी ने कहा कि अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही चल रही है, जिसे शीघ्र ही दीवाली के पश्चात किया जायेगा।

आगे श्री हाजी मो० सलीम, सभासद ने कहा कि -

22-10-92

चर्चाकाल :-

नगर में कोई द्वारा जो बस पड़ाव निर्धारित है, जहाँ पर यात्रियों का आना जाना रहता है, इसलिये वहाँ पर सुलभ शौचालय का होना जरूरी है मेरा सुझाव व प्रस्ताव है कि सभी बस पड़ावों पर एक एक सुलभ शौचालय के निर्माण हेतु शासन को अनुदान देने हेतु पत्र भेजे जाय, जिस पर सहमति पायी गयी।

श्री मुख्तार अहमद, सभासद ने जलकल द्वारा पेयजलापूर्ति सम्बन्धी समस्याओं के सुलझाने की बात कही जिसे जलकल अभियन्ता से स्पष्ट करने को कहा गया, जलकल अभियन्ता ने सदन के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से यह स्पष्ट किया कि जलकल में छोटे छोटे काम पड़ जाते हैं, जिसके लिये धन आवश्यकता पड़ने पर सुलभ नहीं हो पाता, और इन कारणों से छोटे मोटे कार्यों के लिये उसकी जरूरत पर धन न होने पर बहुत से कार्य रुके पड़े रह जाते हैं यदि कोई द्वारा 2500/- (दो हजार पाँच सौ) की धनराशि दिलायी जाय जिससे छोटे-मोटे अधूरे कार्यों को तुरन्त निपटाया जा सके, इससे पेयजल की समस्या काफी हद तक निपटाई जा सकती है, इस पर लेखाकार द्वारा म्युनिस्पल एकाउन्ट कोड प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि जो म्युनिस्पल एकाउन्ट कोड में निहित है, उतनी ही धनराशि दी जा सकती है, इस पर अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा इस प्रकरण पर शासन से राय लेने की बात कही गयी, और उसी के अनुसार कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया।

आगे श्री हाजी मो० सलीम, सभासद ने कहा कि निजाद स्थित नलकूप में इन्टरकनेक्शन न होने के कारण नागरिकों को पेयजल समुचित मात्रा में सुलभ नहीं हो पा रहा है, इसे लगवाने हेतु अनुरोध किया जिसे कराने हेतु अध्यक्ष अधिशासी-अधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया और उसी समय सदन में जलकल अभियन्ता को कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देश दिये गये।

श्री रामअवध यादव, सभासद ने हुसैनाबाद के मदरसा में 200 मीटर पाइप लाइन पेयजलापूर्ति बिछवाने की माँग किये और उसी क्रम में श्री मिठाईलाल सभासद

-: चर्चाकाल :-

...ने भी नासिरपुर (दक्षिणी) मंदिर से पश्चिम तरफ चौनियाते तक लगभग 200 मीटर पाइप लाइन पेयजलापूर्ति हेतु बिछवाने की मांग किया, जिसे पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया।

(सत्यप्रकाश पाण्डेय)
अधिशासी-अधिकारी
सिटी-बोर्ड जौनपुर
22-10-92

(सीताराम यादव)
अध्यक्ष
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
22-10-92

महेशनारायण
परिषद लिपिक
सिटी-बोर्ड जौनपुर